

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी— सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 74/20

1. दुर्गा
2. मदन (हजफ)
3. मोहन पुत्रगण सुखा (हजफ)
4. श्योपाल
5. सुलतान पुत्रगण छोटू
6. मूलचन्द
7. हरि पुत्रगण भूरा समस्त जाति बलाई निवासीगण उदयलाल की ढाणी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
8. गंगाधर
9. रामलाल पुत्रगण सुखा जाति बलाई निवासीगण उदयलाल की ढाणी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर

—वादीगण—

बनाम

1. रूकमा देवी पत्नी मूलचन्द
2. कैलाश
3. सुभाष पुत्रगण बेगाराम
4. सलोचना पुत्री बेगाराम
5. गौरव
6. रमेश पुत्रगण सोहनलाल
7. चम्पा कुमारी
8. प्रियंका पुत्रियां सोहनलाल
9. मगनी देवी पत्नी सोहनलाल
10. प्रभुदयाल
11. बनवारीलाल
12. भागीरथमल पुत्रगण रामपाल
13. मंजू

27/12/22

14. सुमन
15. संतोष
16. सुशीला पुत्रियां रामपाल
17. चावली पत्नी लक्ष्मणराम
18. ममता पुत्री लक्ष्मणराम
19. सुरेन्द्र पुत्र लक्ष्मणराम समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर
20. कमल कुकार पुत्र गंगाराम वर्मा जाति बलाई निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
21. मूलचन्द चौहान पुत्र नागरमल जाति नायक निवासी पौख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
22. नोरंगलाल पुत्र मंगलाराम जाति बलाई निवासी बराल तहसील व जिला सीकर
23. महावीर प्रसाद पुत्र घासीराम जाति बलाई निवासी बराल तहसील व जिला सीकर
24. दीपचन्द पुत्र भीमचन्द जाति बाल्मिकी निवासी गोठरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
25. मोतीराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बलाई निवासी सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर
26. शिवकरण किलानियां पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी वार्ड नं. 40 नवलगढ रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर सुशीला पत्नी श्रवण कुमार जाति बलाई निवासी वार्ड
27. नं0 40 नवलगढ रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर
28. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर


— प्रतिवादीगण —

वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88,

188 53 रा.का.अ.


तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 3245 दिनांक 26.7.2021 में निम्नानुसार संशोधन करते हुए —

1. विभाजन प्रस्ताव की क्र.सं. 1 प्रस्तावानुसार यथावत
2. विभाजन प्रस्ताव की क्र.सं. 2 प्रस्तावानुसार यथावत
3. विभाजन प्रस्ताव की क्र.सं. 3 में दर्ज बनवारीलाल पुत्र रामपाल रकबा 0.0147 है0, प्रभूदयाल पुत्र रामपाल रकबा 0.0147 है0, सुशीला, मन्जु, सन्तोष, सुमन पुत्रियां रामपाल हि.ब.हि 0.0072 है0 के बजाय शिवकरण किलाणियां पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी वार्ड नं. 40 नवलगढ रोड़ सीकर के नाम दर्ज किया जावे।
4. विभाजन प्रस्ताव की क्र. सं. 4 प्रस्तावानुसार यथावत

 24/12/21

5. विभाजन प्रस्ताव की क्र.सं. 5 प्रस्तावानुसार यथावत
6. विभाजन प्रस्ताव की क्र.सं. 6 में बनवारीलाल पुत्र रामपाल व प्रभुदयाल पुत्र रामपाल की जगह शिवकरण किलाणियां पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी बाई नं. 40 नवलगढ रोड़ सीकर दर्ज किया जावे।


तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार संशोधन करते हुए अमल दरामद करें।


 (गरिमा लाटा)
 उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		41.00	जोड़

आज तारीख 27.12.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 उपखण्ड अधिकारी सीकर